न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1113–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–3–17 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल प्रकरण कमांक 7/अपील/15–16.

1– नसीर खॉ पिता स्व. बशीर खॉ
2– बजीर खॉ पिता स्व. बशीर खॉ
3– भैया मिया पिता स्व. बशीर खॉ
4– संदल बी पत्नी स्व. बशीर खॉ
5– श्रीमती मुन्नी बी पुत्री स्व. बशीर खॉ पत्नी सुल्तान
6– श्रीमती बिलकीस बी पुत्री स्व. बशीर खॉ
पत्नी इलाही बक्श
7– श्रीमती परबीन बी पुत्री स्व. बशीर खॉ
पत्नी नियामत खॉ
8– बिब्बो बी पत्नी स्व. बाबू खॉ
9– नवाब पिता स्व. बाबू खॉ
10– हसीन पिता स्व. बाबू खॉ
11– उवेद् पिता स्व. बाबू खॉ
कृषकगण एवं निवासीगण ग्राम कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
12– मेहरीन पुत्री स्व. बाबू खॉ पत्नी हकीम
निवासी ग्राम कोड़िया जिला सीहोर
13– अमरीन पुत्री स्व. बाबू खॉ पत्नी शेख कदीर
निवासी कैम्प नं. 12, बैरागढ़ भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– शहजादे खॉ वल्द स्व. ईशाक खॉ
2– मुश्ताक खॉ वल्द स्व. ईशाक खॉ
3– अफरोज बी पुत्री स्व. ईशाक खॉ
4– फिरदोश बी पुत्री स्व. ईशाक खॉ
5– बिल्लो बी पत्नी स्व. ईशाक खॉ
कृषकगण एवं निवासीगण ग्राम कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल
6– (अ) बन्ने मिया वल्द कल्लू खॉ
(ब) रउफ खॉ वल्द कल्लू खॉ
(स) जहूर खॉ वल्द कल्लू खॉ

(द) लईका बी पुत्री कल्लू खॉ
(इ) नफीसा बी पुत्री कल्लू खॉ
(ई) छोटी बी पुत्री कल्लू खॉ
(उ) शहनाज बी पुत्री कल्लू खॉ

7– (अ) अनीस खॉ वल्द छम्मू खॉ
(ब) इसरार खॉ वल्द छम्मू खॉ
(स) निसार खॉ वल्द छम्मू खॉ
(द) अंसार खॉ वल्द छम्मू खॉ
(इ) अबरार खॉ वल्द छम्मू खॉ
(ई) कमर खॉ वल्द छम्मू खॉ
(उ) रियासत खॉ वल्द छम्मू खॉ
(ए) शहजादी बी पुत्री छम्मू खॉ
(ऐ) आबादी बी पुत्री छम्मू खॉ
(ओ) रानी बी पुत्री छम्मू खॉ
(औ) रहिमन बी बेवा छम्मू खॉ

8– (अ) नफीस खॉ वल्द छोटे खॉ
(ब) नसीम खॉ वल्द छोटे खॉ
(स) नदीम खॉ वल्द छोटे खॉ
(द) इकबाल खॉ (इ) नासिर खॉ
(ई) वसीम खॉ तीनों नाबालिग पुत्रगण छोटे खॉ
संरक्षिका माता अजीजा बी पत्नी स्व. छोटे खॉ
(उ) अजीजा बी पत्नी छोटे खॉ
निवासीगण ग्राम कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

9– रईस खॉ वल्द रशीद खॉ
निवासी कलखेड़ा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

.....अनावेदकगण

श्री डी.डी. मेघानी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्रीमती रेणु गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 लगायत 5
श्री अबरार मोहम्मद, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 6 लगायत 9

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 26/3/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा तहसीलदार तहसील हुजूर के आदेश दिनांक 13–8–2014 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 7/अपील/15–16 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 एवं संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किये गये । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22–3–17 को आदेश पारित कर उक्त आवेदन पत्र स्वीकार किये गये । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की श्रेणी में नहीं आता है, क्योंकि उनके द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा कथित वसीयतनामा दिनांक 5–3–2010 की छायाप्रति के आधार पर फिंगर राइट एक्सपर्ट से अभिलेखों की परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का दायित्व था कि वे मूल वसीयतनामा के आधार पर अन्य अभिलेखों का फिंगर राइट एक्सपर्ट से परीक्षण कराने के निर्देश अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 को देते । तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा फिंगर राइट एक्सपर्ट के समक्ष परीक्षण हेतु मूल अभिलेख प्रस्तुत ही नहीं किये गये हैं और फिंगर राइट एक्सपर्ट द्वारा फोटोस्टेट प्रतिलिपियों के आधार पर अपनी फिंगर प्रिंट रिपोर्ट दी है, जिसे अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है । ऐसी रिपोर्ट साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत ग्राह्य न होने के उपरांत भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उसे अभिलेख पर लेने के आदेश देने में त्रुटि की गई है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विकय पत्र के माध्यम से कय की गई है और इसी के आधार पर तहसीलदार द्वारा आदेश पारित किया गया है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा फिंगर राइट एक्सपर्ट की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया तो आवेदकगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

4/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दस्तावेजों का सूक्ष्मता से अवलोकन कर अपील के निराकरण हेतु आवश्यक मानते हुए अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है ।

(2) आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रचलित अपील को लम्बित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है ।

(3) आवेदकगण द्वारा तथ्यों को तोड़ मरोड़कर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(4) चूंकि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का विक्रय किया जा रहा था, इसलिए विक्रय पर रोक लगाने में भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पूर्णतः न्यायिक कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदक कमांक 6 लगायत 9 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष के तर्कों पर विचारोपरान्त उक्त आवेदन पत्र इस निष्कर्ष के साथ स्वीकार किया गया है कि पक्षकार को अपने पक्ष में दस्तावेज पेश करने से नहीं रोका जा सकता है, जो कि उचित निर्णय है । इसी प्रकार अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 द्वारा प्रस्तुत संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 के आवेदन पत्र के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी से जांच कराया जाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी प्रतिवेदन में यह पाया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि का बिना डायवर्सन कराये एवं सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवैध रूप से भूखण्ड विक्रय किये गये हैं । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 की ओर से प्रस्तुत संहिता की धारा 32 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता की धारा 151 का आवेदन पत्र स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति लिये कय–विक्रय एवं निर्माण कार्य नहीं करने के आदेश दिये गये हैं । इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विवेचना उपरांत सकारण आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–3–17 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर